तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्री ख्यालीराम बनाम उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली** **अपील संख्या 2023/31**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.09.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित, उनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्रों को आवंटन कमेटी द्वारा निरस्त नही किया जाकर राजस्थान भू राजस्व (निष्क्रांत कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम 1963 के तहत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है तथा राजस्थान भू राजस्व (निष्क्रांत कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम 1963 के तहत पारित आदेशों के विरूद्ध अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही होने से अपीलार्थी की अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नही है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलार्थी को हस्तगत अपील वापस लौटाई जानी उचित प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2022 राजस्थान भू राजस्व (निष्क्रांत कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम 1963 के तहत पारित होने के कारण उक्त आदेश के विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही होने से अधिवक्ता अपीलार्थी को हस्तगत अपील सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापस लौटाई जावें। तहत रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को वापस लौटाया भिजवाया जावें एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 18/9/23 (अन्तरसिह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	